छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

<u>अपील प्रकरण क्रमांक 110 एवं 112/2006</u>

श्री राधेश्याम कैवर्त,
आत्मज श्री उमाशंकर कैवर्त,
वार्ड क्रमांक–9,
टाऊन हॉल खरसिया, ... **अपीलार्थी**
जिला–रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
मुख्य नगर पालिका परिषद्,
खरसिया,
जिला–रायगढ़ (छत्तीसगढ़) .... **प्रतिअपीलार्थी**

:: <u>आदेश</u> ::

(दिनांक 24 नवम्बर 2006)

श्री राधेश्याम कैवर्त के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–19 के अंतर्गत नगर पालिका परिषद्, खरसिया के सूचना अधिकारी के द्वारा तथा वांछित सूचनाएं न देने के संबंध में प्रथम अपीलीय अधिकारी अधिकारी द्वारा भी निर्णय न दिये जाने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की। अपीलार्थी के द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक–110 एवं 112 प्रस्तुत की गई है। इन दोनों प्रकरणों की विषयवस्तु तथा पक्षकार एक ही होने के फलस्वरूप दोनों प्रकरणों का आदेश एक साथ पारित किया जा रहा है।

2/ अपील प्रकरण क्रमांक–110 में अपीलार्थी के द्वारा बतलाया गया कि उसके द्वारा जन सूचना अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, खरसिया से आवेदन पत्र दिनांक 26–11–2005 से वर्ष 2000–2003 में नगर पालिका परिषद्, खरसिया द्वारा सबमर्शिबल पम्पसेट 06 नग सुधार की कार्यवाही की गई थी। उक्त संबंध में की गई कार्यवाही के दस्तावेजों की प्रतिलिपि प्रदान की जावे। इसी प्रकार वर्ष 2000–2003 में पूर्व अध्यक्ष श्री ओमप्रकाश गुप्ता द्वारा पानी टैंकर की कम्पलीट डिस्क टायर ट्यूब सहित राजेन्द्र अग्रवाल को दिया गया। संबंधित नस्ती के कार्यवाही के दस्तावेजों की नकल दी जाावे। एम्बेसडर कार क्रमांक एम.पी0 26/0918 की जांच की कार्यवाही के दस्तावेजों की प्रतिलिपि चाही गई है। अपील प्रकरण क्रमांक–112 में अपीलार्थी के द्वारा जन सूचना अधिकारी, नगर पालिका परिषद से आवेदन पत्र दिनांक 26–11–2005 से अपीलार्थी को दिया गया निलंबन आदेश व उससे संबंधित दस्तावेजों की प्रति चाही गई थी। अपीलीय अधिकारी के द्वारा कोई निर्णय न करने के फलस्वरूप अपीलार्थी ने द्वितीय अपील प्रस्तुत की।

3/ आयोग के द्वारा प्रतिअपीलार्थी जन सूचना अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, खरसिया को नोटिस जारी किया गया। प्रतिअपीलार्थी के द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा तर्कों को

सुना गया। प्रतिअपीलार्थी का कथन है कि उनके द्वारा कुछ नस्तियों को छोड़कर जो कि कार्यालय में उपलब्ध नहीं है वांछित जानकारी अपीलार्थी को दी जा चुकी है। उन्होंने पूर्व में यह जानकारी दी थी कि सबमर्शिबल पम्प तथा पानी टैंकर से संबंधित नस्ती का चार्ज अपीलार्थी ने नहीं दिया था। अपीलार्थी ने प्रतिअपीलार्थी के जवाब को स्वीकार किया तथा उसके द्वारा चार्ज रिपोर्ट की फोटोकापी दी गई, जिसके अनुसार संबंधित नस्ती श्रीमती सरला मुदलियार को दी गई। अपीलार्थी के आकस्मिक अवकाश आवेदन पत्र भी कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने से बिन्दु क्रमांक–4 की जानकारी नहीं दी गई। प्रतिअपीलार्थी के द्वारा दिनांक 07–11–2006 को संशोधित उत्तर प्रस्तुत किया, जिसमें कि यह उल्लेख किया गया कि आवेदक के द्वारा सबमर्शिबल पंप एवं पानी टैंकर से संबंधित नस्तियों की छायाप्रति चाही गई थी। उक्त नस्ती कार्यालय में उपलब्ध न होने के फलस्वरूप संबंधित लिपिक के विरूद्ध विभागीय जांच किये जाने का निर्णय लिया गया है। विभागीय जाँच के पश्चात् ही अभिलेख उपलब्ध न होने के लिए कौन उत्तरदायी है यह स्पष्ट होगा। अभिलेख कार्यालय में उपलब्ध नहीं है, अतः अपीलार्थी के द्वारा मांगे गये दस्तावेजों की प्रति दिया जाना संभव नहीं है। प्रकरण क्रमांक–112 में अपीलार्थी ने उसके विरूद्ध जारी निलंबन आदेश से संबंधित कार्यवाही के दस्तावेजों की प्रति मांगी गई थी। प्रतिअपीलार्थी ने बताया कि निलंबन आदेश की कार्यवाही से संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां समयावधि के अंदर अपीलार्थी को दी जा चुकी है। अपीलार्थी को नगर पालिका परिषद् के संकल्प क्रमांक–17 दिनांक 06–11–2004 के आदेशानुसार सेवा से पृथक किया गया है। अपीलार्थी के आकस्मिक अवकाश का आवेदन पत्र उपलब्ध नहीं होने से उसकी जानकारी अपीलार्थी को नहीं दी गई। संबंधित नस्ती भी उपलब्ध न होने से प्रकरण क्रमांक–110 के समान भी श्रीमती सरला मुदलियार संबंधित लिपिक के विरूद्ध विभागीय जांच की कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। शेष अभिलेख अपीलार्थी को दिये जा चुके हैं।

4/ प्रकरण से स्पष्ट है कि अपीलार्थी के द्वारा वांछित अभिलेखों में से कार्यालय मे उपलब्ध न होने वाली नस्तियों को छोड़कर शेष जानकारी अपीलार्थी को दी जा चुकी है। अपीलार्थी ने भी इसे मान्य किया है। जिन दस्तावेजों से संबंधित नस्तियां उपलब्ध नहीं है उसके संबंध में उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु विभागीय जांच की कार्यवाही की जा रही है। अतः स्पष्ट है कि जन सूचना अधिकारी प्रतिअपीलार्थी के द्वारा वांछित अभिलेखों की प्रतियां अपीलार्थी को दी जा चुकी है। अतः प्रतिअपीलार्थी अनुपलब्ध दस्तावेजों को छोड़कर शेष दस्तावेजों की प्रतियां दे चुका है। प्रतिअपीलार्थी पर जानबूझकर अथवा द्वेषवश जानकारी नहीं दिये जाने का आरोप प्रमाणित नहीं होता है। उसके विरूद्ध अर्थदण्ड आरोपित किये जाने का कोई आधार नहीं है। विभागीय जांच के पश्चात् उत्तरदायित्व निर्धारित कर यदि संबंधित लिपिक दोषी है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे तथा अभिलेख उपलब्ध होने पर यथाशीघ्र अपीलार्थी को वांछित प्रतियां उपलब्ध कराई जावे, अभिलेख उपलब्ध न होने पर नस्तियों को पुनःसंरचना की जाकर अपीलार्थी को प्रतिलिपियां निःशुल्क प्रदान की जावे।

उपरोक्त निर्देशों के साथ अपीलार्थी की यह अपील आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है।

हस्ता0/– 24–11–2006
(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त